

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक देसूरी (पाली)

परीक्षण - लालकलालाराम के काबुल - बुनाम पत्रावली पत्रावली पत्रावली पत्रावली पत्रावली

पत्रावली पत्रावली लालाराम देसूरी देसूरी देसूरी देसूरी देसूरी

सं 2024.

मुकदमा - 1/1/24 नम्बर 5

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान राजस्थान 1956.

रीख वस	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
	19/4/24	576-584 19/4/24

परीक्षण अधिवक्ता उपस्थित। परीक्षण अधिवक्ता ने परीक्षण पर अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान राजस्थान 1956 के तहत प्रस्तुत किया है। जो कि सही है। परीक्षण अधिकारी को पेश है। पत्रावली वाले जवाब दिनांक का पेश है।

बिबुध्या
19.4.2024
सहायक जज
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

4/6/24
पत्रावली पेश हुई। वकालाम उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण पत्रावली दिनांक 10/7/24 को पेश हो।
रीडर

10.7.2024 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष हानि, लालकलालाराम देसूरी / प्रमदुल्ल्या संवत् 2073 से 2076 के मध्य - जमानत/जमानत में नाम बिना लक्षण प्रोडर के विधि-दुआ लगी है लिखा - संख्या 116 प्रमदुल्ल्या नियम के अन्तर्गत होना पाया जाता है पत्रावली लक्ष्मी देसूरी को धारा 136 में निस्कारण के निर्देश के साथ फिल-शुमारकी जारी है। 116 के तहत नियमावली 136 में निस्कारण के पत्रावली फिल-शुमारकी जारी है।

Resant
Uy
TDR Ram
10/7/24

बिबुध्या
सहायक जज
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)